बिहार सरकार
उद्योग विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांकः–

संख्याः–3(स0)/उ०स्था०(आरोप)15/18–........................./श्री प्रेमचन्द्र झा, कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, खगड़िया द्वारा पूर्व पदस्थापन, प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सारण, छपरा के पद पर कार्य की अवधि में विहित प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना एक निजी संस्था मेसर्स आनन्द इण्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट कंसलटेन्सी के प्रोपराईटर श्री अजीत आनन्द को जिला उद्योग केन्द्र, छपरा में एक कमरा आवंटित करने तथा उक्त निजी कंसलटेन्सी के माध्यम से उद्यमियों से पैसे की उगाही करने संबंधी प्रतिवेदित आरोप पर विभागीय संकल्प संख्या–4824 दिनांक 02–11–18 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुये श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक(योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को जाँच प्राधिकार नियुक्त किया गया।

पत्रांक–673 दिनांक 29–01–19 द्वारा जाँच प्राधिकार ने मंतव्य सहित जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। जिसके अनुसार निजी कंसलटेन्सी को कमरे का आवंटन श्री झा द्वारा किया गया। यह प्रक्रियात्मक भूल मानी जा सकती है। अनुचित लाभ संबंधी आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

विभागीय पत्रांक–809 दिनांक 04–02–19 द्वारा श्री प्रेमचन्द्र झा से यह अनुरोध किया गया कि जाँच प्रतिवेदन पर अपना लिखित अभ्यावेदन 15(पन्द्रह) दिनों के अन्दर समर्पित करें। इन्होंने दिनांक 25–02–19 को हस्ताक्षरित लिखित अभ्यावेदन में यह स्वीकार किया कि कमरा आवंटन प्रक्रियात्मक भूल है।

उद्योग निदेशक द्वारा प्रतिवेदित आरोप–पत्र, जाँच प्राधिकार द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन पर आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा के उपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री झा को बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित नियमावली–2007) के नियम–14(v) के अधीन संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः उक्त के आलोक में श्री प्रेमचन्द्र झा, तत्कालीन कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सारण, छपरा (सम्प्रति प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, खगड़िया) को बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित नियमावली–2007) के नियम–14(v) के अधीन संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(ऋषिदेव झा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–
3(स0)/उ०स्था०(आरोप)15/18
पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–
पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

प्रतिलिपिः–महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सारण, छपरा/खगड़िया/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सारण, छपरा/खगड़िया/श्री प्रेमचन्द्र झा, कार्यकारी प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–3334
पटना, दिनांकः–29-07-19

प्रतिलिपिः–आई0टी0 प्रबधक, उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

राकेश/29–07–19

D:\Section-3\Devesh\Devesh 3.doc